न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः–   उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :–   68/2023

स्टेट जरिये श्री जीतसिंह यादव, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

–प्रार्थी

–:बनामः–

नरेश कुमार बंसल पुत्र केवलकृष्ण बंसल (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्सः–बंसल किरयाना स्टोर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः–वार्ड नं. 14, पुरानी नगरपालिका के पास, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः–

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री करणी सिंह शेखावत, अभिभाषक अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांक :–28.11.2025

प्रार्थी श्री जीतसिंह यादव, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीतसिंह यादव दिनांक 15.07.2022 को दोपहर 02.00 बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित मैसर्सः–बंसल किरयाना स्टोर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। उक्त दुकान के विक्रेता को परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे नाम एवं पता पूछा जिस पर विक्रेता ने अपना नाम नरेश कुमार बंसल पुत्र केवल कृष्ण बंसल (मालिक एवं विक्रेता) निवासी–वार्ड नं. 14, पुरानी नगरपालिका के पास, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ बताया एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने मौके पर खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र 12218025000367 दिनांक 22.12.2019 से 25.12.2024 तक जारी होना जहिर किया एवं स्वयं के आधार कार्ड एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त दुकान पर 01 किलोग्राम वजनी Iodised Salt (Vishudhma Brand) के 1200 नग मूल सीलड पोली पाउच आमजन को बिक्री वास्ते रखा हुआ था। उक्त Iodised Salt (Vishudhma Brand) में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर गवाहन की उपस्थिति में विक्रेता को फार्म नं. 05 ए देकर सूचित करते हुये उक्त स्थल पर रखे हुये Iodised Salt (Vishudhma Brand) में से 01 किलो वजनी पैकिंग के 04 पैकेट Iodised Salt (Vishudhma Brand) वास्ते नमूना जांच खरीदा। उक्त खरीदशुदा Iodised Salt (Vishudhma Brand) की कीमत विक्रेता को 40/–नकद देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 04 पैकेट Iodised Salt (Vishudhma Brand) को मूल ही अलग–अलग चार जगह बांधकर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लेबल तैयार कर उन पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एके–2272 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक पाउच पर चिपकाया। प्रत्येक पाउच को अलग–अलग मूल पॉली पैक सहित मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक पाउच पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. एके–2272 जो डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित उपलब्ध थी, को चारों भागो पर नीचे से ऊपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर–नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, समझकर एवं सुनाकर मानकर हस्ताक्षर करने को कहा। जिसे विक्रेता एवं गवाहन ने भी पढ़कर, सुनकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षकर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी. ओ. एवं मुख्य

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ के पत्रांक 19566–67 दिनांक 12.08.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, बीकानेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया Iodised Salt (Vishudhma Brand) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। उक्त पत्रांक एवं जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Substandard Iodised Salt (Vishudhma Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि उक्त नमूने को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा मात्र सब स्टैण्डर्ड घोषित किया गया है। नमूने में मुताबिक जांच रिपोर्ट ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई है जो मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 (2)(2) का उल्लंघन नहीं किया है। अप्रार्थी लघु श्रेणी का कारोबारी है अतः अप्रार्थी को एफएसएसए एक्ट की धारा 31 (2) का लाभ प्रदान किया जावे। अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किंसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Iodised Salt (Vishudhma Brand) की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Substandard Iodised Salt (Vishudhma Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 5,000/–(अखरे रूपये पांच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़